

संख्या : 601/01/14-15/एन पी सी एस

भारत सरकार

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

9वें तल, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

दिनांक : 11 जून, 2020

सूचना

- समाचारपत्रों / आवधिकों के ऐसे सभी प्रकाशक, जिन्हें ई संचित पोर्टल (आइसगेट) पर अखबारी कागज आयात करने की आवश्यकता होती है, को सूचना दी जाती है कि वे अखबारी कागज के आयात के लिए आवेदन करें ।
- प्रकाशकों के आवेदन आर एन आई मुख्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा प्राधिकृत होना आवश्यक है तथा आवेदन के प्राधिकरण से 'वास्तविक प्रयोगकर्ता' (Actual User) को कस्टम विभाग को अप्रसारित किया जाएगा, ताकि अखबारी कागज के आयात करने की सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके ।
- आइसगेट पोर्टल जी एस टी के अंतर्गत पंजीयन कराते समय उपलब्ध कराए गए ईमेल पते के आधार पर आई ई सी के लिए सरल एवं सुविधाजनक पंजीयन सुविधा प्रारंभ हुई है । आयातकर्ता को उनके माल की अद्यतन जानकारी तथा उनके घोषणा पत्र की पी डी एफ प्रतियां उनके ईमेल पते पर प्राप्त हो जाएंगी ।
- कस्टम कार्यालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर का विकल्प जिसमें निकासी पूर्व लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए प्रश्न भी शामिल हैं, को भी आई ई सी कर्ता के लॉगइन में उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि उन्हें दस्ती रूप से सेवा केंद्रों में जमा कराने से बचा जा सके ।
- सभी प्रकाशकों से अनुरोध है कि वे तत्काल अपना पंजीयन करा लें ताकि उन्हें उपलब्ध लाभ प्राप्त हो सके ।
- इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।



(हिमानी सारद)

उप प्रेस पंजीयक

प्रतिलिपि : पत्र सूचना कार्यालय पी आई बी के सभी क्षेत्रीय कार्यालय